XII मुद्रा प्रबंध

12.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत रिज़र्व बैंक नोट जारी करने और मुद्रा प्रबंध का कार्य करता है और 2003-04 में यह कार्य नोटों और सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संचलन में आए नोटों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से निर्देशित रहा। ग्राहक सेवा में सुधार के लिए पहल की गई और करेंसी नोटों में सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने के साथ-साथ करेंसी प्रबंध के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में मजबूत प्रयास किए गए।

12.2 इस खण्ड में 2003-04 के दौरान करेंसी परिचालनों की समीक्षा की गई है जिसमें करेंसी चेस्ट गतिविधियों तथा नोटों और सिक्कों की मांग में आई तेजी के मद्देनजर नवीन आपूर्ति से इसे पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को शामिल किया गया है। स्वच्छ नोट नीति योजना के तहत किए जा रहे प्रयासों की अद्यतन स्थिति देखने से पता चलता है कि संचलन से गंदे और कटे-फटे नोटों को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने और संसाधन तथा नष्टीकरण की प्रक्रिया के यंत्रीकरण होने से करेंसी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इस खण्ड में जाली नोटों की पहचान करने के लिए करेंसी की सुरक्षा बढ़ाने तथा करेंसी नोटों में परिष्कृत सुरक्षा फीचरों को प्राप्त प्राथमिकता को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है। 2003-04 में ग्राहक सेवा पर विशेष जोर दिया गया है, मौद्रिक संग्रहालय की स्थापना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण की गतिविधियों की समीक्षा जैसे अन्य पहुलओं को भी इस खंड में शामिल किया गया है।

करेंसी परिचालन

12.3 करेंसी परिचालन का कार्य रिज़र्व बैंक अपने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-कार्यालयों और पूरे देश में फैले करेंसी चेस्टों तथा छोटे सिक्कों के डिपो के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से करता है।

12.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्यों के कोषागारों में रखे करेंसी चेस्टों के क्रमिक रूपांतरण और/या करने की नीति के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप करेंसी चेस्टों की कुल संख्या में गिरावट आई है। वाणिज्य बैंकों ने अपने करेंसी चेस्ट परिचालन बढ़ाए हैं। पहली बार विदेशी बैंकों को करेंसी चेस्ट परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। कुल करेंसी चेस्टों की 72.0 प्रतिशत करेंसी चेस्ट अपने पास रखने के कारण करेंसी चेस्ट प्रणाली में स्टेट बैंक समूह का प्रभुत्व बना रहा है (सारणी 12.1)।

संचलन में नोट

12.5 समीक्षाधीन वर्ष में, नोटों के संचलन ने 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी को दर्शाती है। मार्च 2004 के अंत में व्यापक मुद्रा ($एम_3$) के प्रति करेंसी का अनुपात 15.8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा (चार्ट XII.1)।

सारणी 12.1 : करेंसी चेस्ट

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या		
	30 जून 2004	30 जून 2003	31 मार्च 2003
1	2	3	4
कोषागार	214	405	417
भारतीय स्टेट बैंक	2,173	2,116	2,117
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	1,004	1,002	1,002
राष्ट्रीयकृत बैंक	943	903	897
निजी क्षेत्र के बैंक	58	36	32
सहकारी बैंक	1	1	1
विदेशी बैंक	4	–	–
रिज़र्व बैंक	20	20	20
कुल	**4,417**	**4,483**	**4,486**

12.6 नोटों की आपूर्ति रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत 'मांगपत्र' से कम रही। सिक्कों की आपूर्ति भी रिज़र्व बैंक के मांग पत्र से कम रही, परन्तु यह मांग-पत्र सिक्कों की मांग में कमी आने के कारण वास्तविक आवश्यकता से अधिक पाया गया (सारणी 12.2)।

12.7 तदनुसार, उपलब्ध आपूर्ति के न्यायसंगत वितरण, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के सिक्के बनाने के साथ-साथ बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का प्रतिशत बढ़ाकर और संसाधन, सत्यापन और छटाई के लिए मशीनों का प्रयोग करके नोटों के पुनः संचालन को सुनिश्चित कर करेंसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के प्रयास किए गए ।

चार्ट XII.1 : व्यापक मुद्रा में करेंसी का हिस्सा (मार्च-समाप्ति पर)

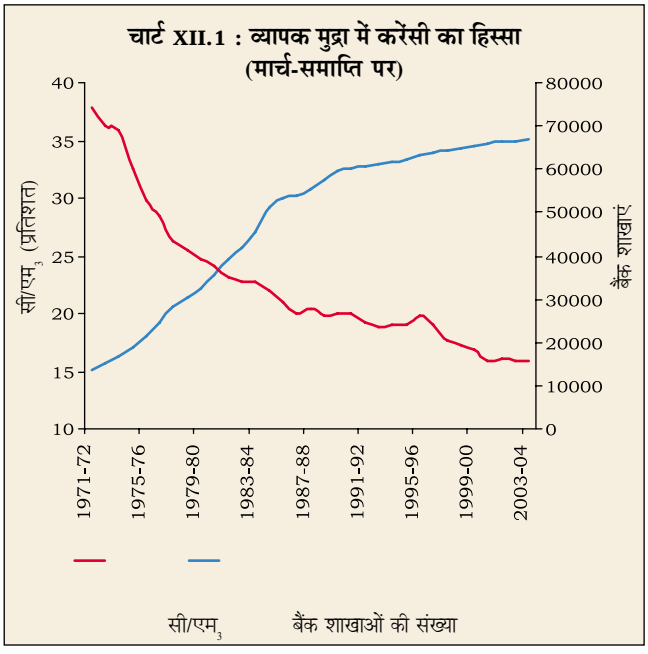

सारणी 12.2 : 2003-04 के दौरान नए नोट और सिक्के

	नोट		सिक्के	
	नोटों की संख्या (मिलियन में)	राशि (करोड़ रुपये में)	सिक्कों की संख्या (मिलियन में)	राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
मांग	15,800	1,76,250	3,460	720
आपूर्ति	13,166	1,37,278	2,828	509

12.8 छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के स्थान पर उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण करके इनमें क्रमिक संघटनागत बदलाव लाया जा रहा है। आटोमेटिड टेलर मशीनों (एटीएम) के बढ़ते नेटवर्क के चलते 500 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों की मांग बढ़ गई है। मूल्य के हिसाब से 500 रुपये मूल्यवर्ग का संचलन में सबसे बड़ा अंश है। मात्रा के हिसाब से 100 रुपये मूल्यवर्ग के नोट का सबसे बड़ा अंश है। मूल्य के हिसाब से 100 रुपये मूल्यवर्ग के नोट तथा 500 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट मिलकर संचलन की कुल मात्रा का 76.5 प्रतिशत बैठते हैं (सारणी 12.3)। 500 रु. और 1,000 रु. दोनों मूल्यवर्ग के नोटों को मिलाकर उनका पिछले चार वर्ष में जारी किए गए नोटों की कुल मात्रा में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, यद्यपि इन नोटों की मात्रा में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है (चार्ट XII.2)।

12.9 एक रुपया मूल्यवर्ग के नोट को निर्गम से वापस ले लिया गया है; तथापि 31 मार्च 2004 तक 2,500 मिलियन नोट संचलन में थे। पिछले दो वर्षों में संचलन में आए 5 रु. के सिक्कों की मात्रा 12.0 प्रतिशत के औसत दर से बढ़ी। इसी अवधि में संचलन में आए छोटे सिक्कों सहित सिक्कों की कुल मूल्य में 7.0 प्रतिशत की औसत बढ़ोत्तरी देखने में आई (चार्ट XII.3)।

12.10 टकसालों से सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के गहन प्रयास किये कि पिछले कुछ समय से देश में आई सिक्कों की कमी को कम किया जाए और देश के सुदूर हिस्सों में सिक्कों की आपूर्ति बनाये रखी जाए (बाक्स XII.1)।

सारणी 12.3 : नोटों और सिक्कों का संचलन

(मार्च 2004 की समाप्ति पर)

मूल्यवर्ग	मूल्य		मात्रा	
	करोड़ रुपये	अंश (प्रतिशत)	मिलियन नोटों की संख्या	अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
नोट				
रुपए 2 तथा रुपए 5	2,748	0.9	6,911	18.1
रुपए 10	7,750	2.4	7,750	20.2
रुपए 20	4,383	1.4	2,192	5.7
रुपए 50	33,027	10.3	6,605	17.2
रुपए 100	1,21,442	38.0	12,144	31.7
रुपए 500	1,22,938	38.4	2,459	6.4
रुपए 1000	27,473	8.6	275	0.7
कुल	**3,19,761**	**100.0**	**38,336**	**100.0**
सिक्के				
छोटे सिक्के	1,353	18.8	54,102	62.9
रुपए सिक्के	2,057	28.6	20,565	23.9
रुपए 2	1,255	17.4	6,275	7.3
रुपए 5	2,536	35.2	5,071	5.9
कुल	**7,201**	**100.0**	**86,013**	**100.0**

स्वच्छ नोट नीति

12.11 संचलन में आनेवाले नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में नोटों की गड्डियों को स्टेपल करने की परंपरा समाप्त करना, बैंकों को नए नोटों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति और संचलन से गंदे और कटे-फटे विशेषतः छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को हटाना और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मशीनीकृत संसाधन में वृद्धि करना शामिल है।

गंदे नोटों को नष्ट करना

12.12 2003-04 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, 12,445 मिलियन गंदे नोटों का संसाधन और निपटान किया गया। गंदे नोटों का मूल्यवर्ग-वार निपटान दर्शाता है कि गंदे नोटों के निपटान में सबसे बड़ा हिस्सा 10 रुपये के नोटों (40.2 प्रतिशत) का रहा, जिसके बाद 100 रुपये के नोटों (31.8 प्रतिशत) और 50 रुपये के नोटों (21.0 प्रतिशत) का स्थान आता है (सारणी 12.4)।

चार्ट XII.2 :मूल्यवर्ग-वार जारी नोट

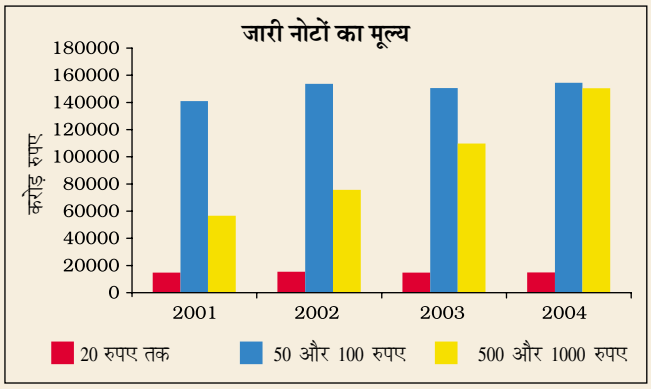

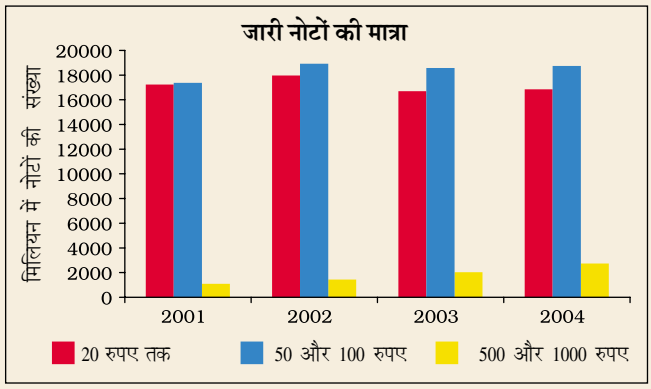

बाक्स XII.1
सिक्कों की कमी से अधिकता की ओर

रिज़र्व बैंक ने अपने कार्यालयों को इस बात की अनुमति दी थी कि वे देश के सुदूर हिस्सों में सिक्कों के विप्रेषण के लिए निजी परिवहन आपरेटरों की सेवाएं ले सकते हैं। सिक्के मोबाइल वैनों के माध्यम से बांटे गए। बैंकों को बाजार में सिक्के वितरित करने के लिए और निश्चित स्थानों पर रविवार को अपनी शाखाएं खोले रखने के लिए राजी किया गया। सिक्कों के वितरण के लिए डाक अधिकारियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य परिवहन उपक्रमों की सेवाएं ली गईं। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (एएससीआइ), हैदराबाद के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक में मांग के प्रति सिक्कों की उपलब्धता 97 प्रतिशत है। इसे रेलवे वैगनों/पुलिस सुरक्षा की अनुपलब्धता और वितरण कार्य हाथ में लेने के प्रति बैंकों की अनिच्छुकता जैसी बाधाओं को पार कर हासिल किया गया है।

सिक्कों की मांग, विशेषतः छोटे मूल्यवर्ग की, में महत्त्वपूर्ण कमी आई है। 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे मूल्यवर्ग के सिक्कों में तो विपरीत प्रवाह शुरू हो गया है। 5 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों के समानांतर रूप से जारी होने से 5 रुपये के सिक्के की मांग में कमी आई है। आम जनता के पास सिक्कों के स्टाक बढ़ने और दुकानों तथा बैंकों द्वारा सिक्के स्वीकार करने की अनिच्छुकता के कारण सिक्कों की अधिकता की समस्या विशेषतः मंदिरों वाले कस्बों, बड़े शहरों, परिवहन प्राधिकरणों तथा बड़े संस्थानों में बेहद विकट हो गई है। रिज़र्व बैंक ने करेंसी चेस्ट रखनेवाले बैंकों को आम जनता से विनिमय या जमा के लिए निर्बाध रूप से सिक्के स्वीकार करने का निदेश दिया है। ऐसा भी निश्चय किया गया है कि छोटे मूल्यवर्ग जैसे 5 पैसे, 10 पैसे तथा 20 पैसे के सभी सिक्कों और 25 पैसे, 50 पैसे तथा एक रुपया मूल्यवर्ग के कॉपर-निकल सिक्कों को संचलन से बाहर कर दिया जाए। बैंकों को इन सिक्कों को स्वीकार कर सरकारी टकसालों को विप्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

आम जनता और बैंक शाखाओं की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक के कार्यालय बड़ी मात्रा में तौल कर सिक्के स्वीकार कर रहे हैं। बैंकों को भी इस उपाय को लागू करने के निर्देश दिए गए। त्वरित और सुचारू सेवा देने के लिए 100 सिक्कों को पैक करने के लिए कुछ बैंक शाखाओं में पॉलीथीन पाउच उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

चार्ट XII.3 : संचलन में सिक्कों का मूल्य

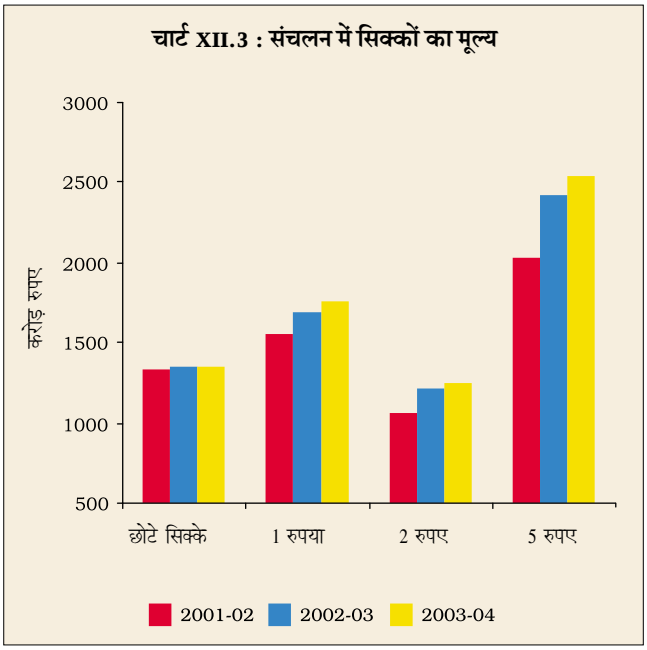

12.13 2003-04 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, रिजर्व बेंक के कार्यालयों ने 21,933,212 कटे-फटे नोट प्राप्त किए। 2002-03 के बकाया सहित, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिज़र्व बेंक (नोट वापसी) नियमावली के तहत 21,908,135 नोटों का न्यायनिर्णयन किया गया।

मशीनीकरण

12.14 रिज़र्व बैंक के करेंसी प्रबंधन में करेंसी नोटों के प्रसंस्करण और नष्ट करने के कार्य को मशीनों द्वारा किये जाने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने अपने 18 कार्यालयों में 48 करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) स्थापित की हैं। 2003-04 के दौरान इन मशीनों में कुल 3,290 मिलियन नोटों को प्रसंस्कृत किया गया। पर्यावरण-अनुकूल ये मशीनें सुरक्षित और परिस्थिति-अनुकूल रूप से गंदे करेंसी नोटों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने (श्रेडिंग), दानेदार बनाने (ग्रेन्यूलेशन) और ईंटे बनाने की सुविधा उपलब्ध करातीं हैं। इन मशीनों ने पारंपरिक भट्टियों की जगह ले ली है। मशीनीकरण और कुछ विशेष उपायों के फलस्वरूप, पिछले वर्ष के 15.6 बिलियन नोटों की तुलना में 2003-04 में 12.4 बिलियन बैंक नोटों का निपटान किया गया।

सारणी 12.4: 2003-04 में मूल्यवर्ग-वार गंदे नोटों का निपटान

(मिलियन नोटों की संख्या)

मूल्य वर्ग	2003-04	कुल की प्रतिशत
	2	3
रु. 1,000	13	0.1
रु. 500	247	2.0
रु. 100	3,954	31.8
रु. 50	2.617	21.0
रु. 20	306	2.5
रु. 10	5,004	40.2
5 रुपए तक	304	2.4
जोड़	**12,445**	**100.0**

जाली नोट

12.15 रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और वाणिज्य बैंकों की शाखाओं ने 2002-03 के दौरान 3.50 करोड़ रु. के मुकाबले 2003-04 में 2.76 करोड़ रु. मूल्य के जाली नोटों की पहचान की।

जहाँ 500 रु. मूल्यवर्ग के जाली नोटों की संख्या में विशेष रूप से कमी आई है, वहीं 100 रु. और 1,000 रु. मूल्यवर्ग के जाली नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। (सारणी 12.5)। प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से नोटों के सुरक्षा फीचरों पर वर्ष भर सघन जनजागृति अभियान चलाए गए। जाली नोटों की पहचान करने के लिए बैंकों के स्टाफ के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों और सरकारी विभागों जैसे रेलवे के स्टाफ को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

12.16 रिज़र्व बैंक और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जाली नोटों, नोटों में सुरक्षा उपाय और जाली नोटों की पहचान के लिए संयुक्त रूप से एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

सारणी 12.5: पता लगाये गए जाली नोट

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग	2003-04	2002-03
1	2	3
रु. 1,000	248	39
रु. 500	17,783	35,398
रु. 100	1,82,361	1,72,597
रु. 50	4,701	3,488
रु. 20	56	34
रु. 10	77	198
कुल	**2,05,226**	**2,11,754**

महात्मा गांधी शृंखलावाले नोट

12.17 बढ़े हुए सुरक्षा फीचर्स के साथ 1996 से महात्मा गांधी शृंखलावाले नोट शुरू किए गए। रिप्रोग्राफिक तकनीक में हुई उन्नति के चलते, पहले के सुरक्षा फीचर अब जालसाजी का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं समझे जाते। तद्नुसार, इन नोटों में इनके शुरू होने से लेकर क्रमिक रूप से नए सुरक्षा फीचर लगाए जाते रहे हैं (बाक्स XII.2)।

बाक्स XII.2
महात्मा गांधी शृंखलावाले नोटों में सुरक्षा फीचर्स

महात्मा गांधी नोट शृंखलावाले बैंक नोटों के सुरक्षा फीचर नीचे दिए गए हैं :

जलचिह्न : महात्मा गांधी शृंखला के बैंक नोटों में जलचिह्न खिड़की (विंडो) में प्रकाश और छाया के प्रभाव तथा बहुदिशीय रेखाओं के साथ महात्मा गांधी का जलचिह्न होता है।

सुरक्षा धागा : 1000 रु. के नोट में सामने की तरफ इसमें पूरी तरह लगा हुआ एक खिड़कीमय सुरक्षा धागा होता है जिसमें 'भारत', (हिन्दी में) '1000' और 'RBI' (अंग्रेजी में) एक के बाद एक लिखा हुआ नजर आता है। 500 रु. और 100 रु. के नोटों में भी इसी तरह का सुरक्षा धागा दिखाई देता है और इसमें 'भारत' (हिन्दी में) तथा RBI (अंग्रेजी में) में लिखा होता है। प्रकाश के सामने रखने पर, 1000 रु., 500 रु., और 100 रु. के नोटों में सुरक्षा धागा एक सीधी रेखा के रूप में देखा जा सकता है। 5 रु., 10 रु., 20 रु. और 50 रु. के नोटों में पठनीय, पूरी तरह जुड़ा हुआ सुरक्षा धागा होता है जिसमें 'भारत' (हिन्दी में) और RBI (अंग्रेजी में) लिखा होता है। सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर होता है।

अव्यक्त छवि : 1000 रु., 500 रु., 100 रु., 50 रु., और 20 रु. के नोटों में महात्मा गांधी के चित्र के दाहिनी तरफ एक खड़ी पट्टी होती है जिसमें संबंधित मूल्यवर्ग का अंकों में मान दर्शाया जाता है। अव्यक्त छवि केवल तभी दिखाई देती है जब नोट को आंख के बराबर पड़े स्तर पर रखकर देखा जाए।

सूक्ष्म लिखाई : यह फीचर खड़ी पट्टी ओर महात्मा गांधी के चित्र के बीच दिखाई देता है। 5 रु. के नोट और 10 रु. के नोट में इसमें RBI (अंग्रेजी में) शब्द लिखा होता है। 20 रु. और अधिक के नोटों में भी मूल्यवर्गवार मान सूक्ष्म असरों में लिखे होते हैं। इस फीचर को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखकर ज्यादा अच्छी तरह से देखा जा सकता है।

उत्कीर्ण छपाई : महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक की मुहर, प्रत्याभूत और वायदा खंड़, बाईं तरफ का अशोक स्तंभ प्रतीक चिह्न और गवर्नर के हस्ताक्षर उत्कीर्ण छपाई यानी, उभरी हुई छपाई में होते हैं जिन्हें 20 रु., 50 रु., 100 रु., 500 रु. और 1000 रु. के नोटों में छूकर महसूस किया जा सकता है।

 # पहचान चिह्न : 10 रु. के नोट के अलावा बाकी सभी नोटों में जलचिह्न खिड़की के बाईं ओर उत्कीर्णित रूप में एक नया फीचर दिया गया है, जिसमें अलग-अलग मूल्यवर्गों के लिए विभिन्न आकार (20 रु. चौकोर, 50 रु. - आयताकार, 100 रु. - तिकोना, 500 रु. -गोल और 1000 रु. - समचतुर्भुज) दिए गए हैं ताकि दृष्टिहीनों को मूल्यवर्ग पहचानने में सहायता मिले।

 # प्रतिदीप्ति : नोटों के नंबर पैनल प्रतिदीप्तिवाली स्याही में छापे जाते हैं। नोटों में आप्टिकल फाइबर भी होते हैं। इन दोनों को नोटों में तब देखा जा सकता है जब इन्हें पराबैंगनी (अल्ट्रा-वायलेट) लैंप के सामने लाया जाता है।

 # प्रकाश परिवर्तनीय स्याही : नवबंर 2000 में संशोधित रंग योजना में 1000 रु. और 500 रु. के नोटों को नए सुरक्षा फीचर के साथ शुरू किया गया। 1000 रु. और 500 रु. के नोटों के सामने वाले हिस्से में क्रमशः 1000 और 500 की संख्या को प्रकाश परिवर्तनीय स्याही, यानी रंग बदलनेवाली स्याही, में छापा गया। जब नोट को सपाट रखा जाता है तो संख्या 1000/500 हरे रंग में दिखती है और जब इसे किसी कोण तिरछा कर देखा जाए तो इसका रंग बदलकर नीला हो जाता है।

 # सी थ्रू रजिस्टर : नोट में खड़ी पट्टी के बीच में तथा जलचिह्न के आगे एक कूल की आकृति आगे (खाली) तथा पीछे (भरी हुई) छपी होती है जो आगे पीछे बिल्कुल एक जैसी होती है। जब इसे प्रकाश में देखा जाए तो यह आकृति एक पूर्ण फूल के रूप में दिखेगी।

संदर्भ :

1. बालचंद्रन जी. (1998); 'दि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, 1951-67, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस।
2. बाजिल शेख एंड संध्या श्रीनिवास, (2001), 'दि पेपर एंड दि प्रामिस : ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ करेंसी एंड बैंक नोट्स इन इंडिया' रिज़र्व बैंक आफ इंडिया।
3. रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (2001), 'फंक्शंस एंड वर्किंग आफ दि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया।'

करेंसी प्रबंध का कंप्यूटरीकरण

12.18 रिज़र्व बैंक अपने बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभागों तथा केंद्रीय कार्यालय के मुद्रा प्रबंध विभाग में समेकित करेंसी परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) की शुरुआत करने जा रहा है। इस परियोजना में कंप्यूटरीकरण और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के करेंसी चेस्टों में नेटवर्किंग शामिल है ताकि त्वरित, दक्ष, त्रुटि-रहित रिपोर्टिंग को सुगम बनाया जा सके और करेंसी चेस्ट लेनदेनों की गणना सुरक्षित तरीके से की जा सके। इस प्रणाली में करेंसी से संबंधित लेनदेन संसाधनों, गणना और प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-सा गणना मंच उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राहक सेवा

12.19 रिज़र्व बैंक ने सिक्के जारी करने, आम जनता से सिक्के स्वीकार करने और गंदे तथा कटे-फटे नोटों को बदलने से संबंधित ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक ने अपने निर्गम कार्यालयों में एकल खिड़की ग्राहक सेवा शुरू की है जिसके तहत एक ही काउंटर पर सभी मूल्यवर्ग के सिक्के या नोट दिए और लिए जाते हैं। इसी तरह, कटे-फटे नोट बिना किसी सीमा के ड्राप बाक्स में (सामान्य बैंकिंग समय के बाद भी) स्वीकार किए जाते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, करेंसी प्रबंध पर आम जनता (व्यापार समूह से इतर) से संबंधित सेवाओं के अध्ययन के लिए सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया और निष्पादन लेखा पर समिति (अध्यक्ष : एस.एस. तारापोर) का गठन इस संबंध में 2003-04 की एक महत्वपूर्ण घटना रही है (बाक्स XII.3)।

रिज़र्व बैंक मुद्रा संग्रहालय

12.20 राष्ट्र की मुद्रा-संबंधी धरोहर के संरक्षण के लिए रिज़र्व बैंक मुंबई में मुद्रा संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। देश में इस तरह का यह पहला संग्रहालय होगा और इसका उद्देश्य करेंसी के इतिहास तथा भारत में मुद्रा के विकास को दर्शाना है। इस संग्रहालय में सिक्कों, कागजी करेंसी, वित्तीय लिखत और भारतीय इतिहास की ऐसी ही जिज्ञासाओं को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय के मुख्य प्रदर्शन खंड़ में अवधारणाओं, विचारों और जिज्ञासाओं, सिक्कों की ढलाई, सिक्कों से बैंक नोट के मुद्रण और भारत में बैंकिंग व्यवस्था का आगमन शामिल है।

12.21 पूरी प्रदर्शन को स्व-पूर्ण विषय-माड्यूलों में बांटा गया है। सिक्केवाले खंड़ में ईसा मसीह से 6 शताब्दी पूर्ण जारी हुए छिद्रित सिक्कों से लेकर भारतीय गणतंत्र के समकालीन सिक्कों की समयावधि को शामिल किया गया है। प्रदर्शित नोट उन्नीसवीं शताब्दी के शुरूआती दौर के हैं और इनमें निजी तथा अर्ध-सरकारी बैंकों, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नोट शामिल हैं। वित्तीय लिखतों के खंड़ में भारत में प्रचलित हुंडी, चेक तथा वचन पत्र को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में रिज़र्व बैंक के गवर्नरों के चित्रों को भी स्थान दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड

12.22 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) की मैसूर और सालबोनी स्थित दोनों प्रेसों में नोटों का उत्पादन पिछले वर्ष के 6,049 मिलियन नोटों के मुकाबले 2003-04 में 34 प्रतिशत बढ़कर 8,100 मिलियन नोट हो गया है। बिक्री कुल कारोबार 813 करोड़ रु. का हुआ, जबकि

बाक्स XII.3
सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया और निष्पादन लेखा पर समिति

रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार की गईं समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं : -

- करेंसी प्रबंधन में पारदर्शिता;
- 10 रु. के सिक्के को शीघ्र शुरू करना ;
- 5 रु. के नोट को पूर्णतः समाप्त करना ;
- करेंसी चेस्ट करार में संशोधन करके रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन न करने पर मौद्रिक दंड लगाने का प्रावधान करना;
- रिज़र्व बैंक के मुंबई कार्यालय में बैंकिंग हाल व्यवस्थाओं का प्रणाली अध्ययन करना ताकि लेनदेन के सुगम प्रवाह में आनेवाले व्यवधानों से निपटने के लिए यह विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में काम कर सके;
- मुद्रा बदलनेवालों और अन्य व्यक्तियों के लिए अलग स्थान / समय उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त उपाय करना;
- रिज़र्व बैंक कार्यालयों के बैंकिंग हाल और बैंक शाखाओं में आनेवाले ग्राहकों को करेंसी विनिमय सुविधा का नागरिक चार्टर उपलब्ध कराना;
- अधिकृत बैंक शाखाएं इस आशय का नोटिस सुस्पष्ट रूप से लगाएं कि इस बैंक शाखा में गंदे / कटे - फटे नोट निर्बाध रूप से बदले जाते हैं;
- रिज़र्व बैंक नोट वापसी नियम आसानी से समझ आ सकनेवाली भाषा में लिखे जाएं।
- बदलने के लिए गंदे नोट देते समय इनके पेस्टिंग की प्रथा की समीक्षा रिज़र्व बैंक करे; और
- गंदे / कटे-फटे नोटों के बदलने पर जारी अनुदेशों का बैंकों द्वारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

पिछले वर्ष यह 667 करोड़ रु. का था, जो 22.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 274 करोड़ रु.के मुकाबले 2003-04 में 135 करोड़ रु. का निवल लाभ प्राप्त किया। निवल लाभ में कमी का कारण था - बिक्री मूल्य में कटौती तथा भारत सरकार नोटप्रेस को दिये गये ऋणों के संबंध में ब्याज आय दर्ज करने में किये गये कुछ समायोजन। भारतीय स्टेट बैंक के जरिए ऋण सुविधा अपनाने पर कंपनी ने 1,300 करोड़ रु. के दीर्घावधि ऋण की बकाया राशि और 175 करोड़ रु. की कार्यशील पूंजी रिज़र्व बैंक को चुकता की। वर्ष के दौरान कंपनी को ''आइएसओ 14001 - 1996 कंपनी'' के रूप में प्रमाणित किया गया।

भावी संभावनाएं

12.23 रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था की मुद्रा की मांग को पूरा करने और नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। इकट्ठे हुए गंदे नोटों की मात्रा को कम करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा सत्यापन और सत्यापन प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। ग्राहक सेवा और भी उन्नत की जाएगी। जालसाजी के विरूद्ध एक सघन अभियान पर विचार किया जा रहा है जिसमें बढ़े हुए सुरक्षा फीचरों पर विशेष जोर दिया जाएगा। रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था में स्वच्छ नोट संचलन में लाने को सुगम बनाना जारी रखेगा। 2004 के दौरान रिज़र्व बैंक अपने सभी कार्यालयों और मुख्य करेंसी चेस्टों में समेकित कंप्यूटरीकृत करेंसी परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) क्रियान्वित करने का इरादा रखता है। इस प्रणाली के लिए साफ्टवेयर के डिज़ाइन और विकास की प्रक्रिया जारी है। उसके बाद चुनिंदा रिज़र्व बैंक कार्यालयों और करेंसी चेस्टों में प्रायोगिक आधार (पायलट बेसिस) पर इसकी जांच की जाएगी। इसके महत्व और प्रसार के मद्देनजर, इसकी जांच, प्ररीक्षण, दौर प्रशिक्षण, परीक्षण के तौर पर चलाने और क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया के लिए बैंकों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शाखा परिचालनों के कंप्यूटरीकरण के लिए बैंकों ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) से संबंधित जो पहलें की हैं और साथ ही देश में संचार माध्यमों का जो विकास हुआ है उससे समेकित कंप्यूटरीकृत करेंसी परिचालन और प्रबंध प्रणाली के सभी बैंकों और पूरे देश में सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मंच प्राप्त होगा। इन उपायों से सुचारू करेंसी प्रबंधन के लिए माहौल बनाने में सुविधा होगी।